

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

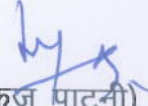
क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-67/288) अलेसे-1/९८

दिनांक:- 21/04/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2 (क)(सेवानिवृत्ति) अलेसे-1/3142-3292 दिनांक 30.07.2010 द्वारा क्रम संख्या 07 पर अंकित श्री गुगन राम के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2011 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। श्री गुगन राम के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 में जांच विचाराधीन होने के कारण "जांच बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। अब विभागीय आदेश क्रमांक 3114-3118 दिनांक 31.03.2017 के द्वारा उक्त विचाराधीन जांच को श्री गुगनराम की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2011 को हो जाने के कारण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप वित्त(नियम) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुगन राम, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-67/288) अलेसे-1/९८

दिनांक:- 21/04/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, झुन्झुनू।
3. जिला परिषद(नरेगा), झुन्झुनू।
4. श्री गुगन राम, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, किसान कॉलोनी, वार्ड नं. 10, झुन्झुनू।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एंट्री करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/वरिष्ठता शीट/पदस्थापन सीट।


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)